न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
136 / प्रा0पत्र / 14	09.10.2014	31.08.2021

सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली। –प्रार्थी

बनाम

1. नारायण आ0 डालू जाति रेगर निवासी सिंघाड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक)।
1/1. रामलाल आ0 नारायण
1/2. गोपाल आ0 नारायण
1/3. रामप्रकाश आ0 नारायण
1/4. लाडबाई पुत्री नारायण
1/5. रामकूंरी बाई बेवा नारायण जाति रेगर निवासी सिंघाड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार
अप्रार्थीगण की ओर से श्री शम्भू दयाल शर्मा एड0

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 तहसीलदार हिण्डोली ने इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी नारायण को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 49/755 रकबा 6 बीघा 12 बीस्वा वाके ग्राम सिंघाडी आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1975 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दोराने मुकदमा अप्रार्थी नारायण की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकामान की रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली से तलब की जाकर अप्रार्थी नारायण (मृतक) के कायम मुकामान को तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अप्रार्थी नारायण (मृतक) एवं अप्रार्थी के कायम मुकामान द्वारा आंवटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटी व उसके कायम मुकामान का कब्जाकाश्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जाकाश्त हैं। अतः अप्रार्थी नारायण (मृतक) को आवंटित भूमि खसरा संख्या 49/755 रकबा 6 बीघा 12 बीस्वा वाके ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1975 को निरस्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक किया जावें।

अप्रार्थीगण के वकील दोराने बहस व्यक्त किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन की पात्रता रखने पर नियमानुसार भूमि का आवंटन

हैं। आवंटन के बाद अप्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त रहा हैं और निर्बाधरूप से कृषि कार्य ते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया हैं। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत बेचान की तहरीर, बनावटी व अवैध हैं। आवंटी ने अपने जीवन काल में भूमि का बेचान नहीं किया हैं। बेचान तहरीर स्टाम्प पर लिखी हुई नहीं हैं। आवंटी मृतक नारायण के अंगूठा निशानी गलत रूप से अंकित करवाये हुये हैं। आवंटी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हैं। आवंटन के बाद आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही लगभग 39 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई हैं जो अवधि बाधित हैं। अतः तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1975 बहाल रखा जावें। अप्रार्थी वकील ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2016(4) पेज 318, आरआरडी 2018 पेज 479, 492, आरआरडी 1986 पेज 369, आरआरडी 2013 पेज 430, आरआरडी 2017 पेज 310, आरआरडी 1987 पेज 422, आरआरडी 1992 पेज 267, आरआरटी 2003(1) पेज 295, डीएनजे 2016(2) पेज 73 की नजीरें प्रस्तुत की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन कर पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। आवंटन पत्रावली अनुसार अप्रार्थी/आवंटी नारायण (मृतक) को खसरा संख्या 49/755 रकबा 6 बीघा 12 बीस्वा वाके ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1975 को भूमि का आवंटन किया गया है। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने एवं अन्य व्यक्तियों का आवंटित भूमि पर कब्जा होने के तथ्य अंकित किये गये हैं। पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2070 से 2073 में उक्त आवंटित भूमि पर खरीफ में मक्का एवं रबी में गेहूं की फसल का ब्यौरा तथा गैर खातेदार के रूप में नारायण आ0 डालू का नाम अंकित हैं। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में यह उल्लेखित है कि यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्ध किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकेगा। हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा तथ्य छुपाकर भूमियों का आवंटन करवाया गया हो तथा उसके द्वारा आवंटन की कौनसी शर्तों का उल्लंघन किया गया हैं यह प्रमाणित नहीं पाया गया हैं। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1975 को निरस्त करने हेतु प्रकरण लगभग 39 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया हैं। आवंटन नियमों में 3 वर्ष बाद खातेदार अधिकार प्रदान होने की अवधारणा प्रतिस्थापित की गई हैं।

अतः उक्त विवेचानुसार तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1975 यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के वापस भिजवाई जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर, बूंदी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)